न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 46/2021
जीoसीoएमoएसः–2021/399

महेन्द्र कुमार पुत्र हरजी राम जाति मेघवाल निवासी ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रार्थी.....

बनाम

तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

अप्रार्थी..

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.08.2021

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 3.8700 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भी रिकार्डेड खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से बाबत् कोई विवाद नही है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। इस कारण प्रार्थी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रहा है तथा ना ही विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवा पा रहा है।

राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम हरजी राम पुत्र भूरा अंकित है। अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 687 रकवा 3.8700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा के बजाय हरजी राम पुत्र भूरा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी हाजिर आए तथा जबाब/तथ्यात्मक जांच रिर्पोट इस आशय की पेश कि प्रार्थी के पिता का सही नाम हरजी राम पुत्र भूरा है। अतः राजहित के मध्यनजर निर्णय पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हरजी राम पुत्र भूरा के बजाय भाना पुत्र भूरा दर्ज रिकार्ड है जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ककराना, आधार कार्ड [illegible] मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड महेन्द्र कुमार, मतदाता पहचान पत्र महेन्द्र [illegible], आधार [illegible] [illegible]द, मतदाता पहचान पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दुलीचन्द, शपथ पत्र महेन्द्र, शपथ पत्र दुलीचन्द, तथ्यात्मक जाचं रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी में प्रार्थी के पिता का सही नाम हरजी राम पुत्र भूरा अंकित है। अतः ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 3.8700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा के बजाय हरजी राम पुत्र भूरा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078 के अनुसार ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 3.8700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेजों यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ककराना, आधार कार्ड हरजी राम, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड महेन्द्र कुमार, मतदाता पहचान पत्र महेन्द्र सिंह, आधार कार्ड दुलीचन्द, मतदाता पहचान पत्र दुलीचन्द, शपथ पत्र महेन्द्र, शपथ पत्र दुलीचन्द, तथ्यात्मक जाचं रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी में प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम हरजी राम पुत्र भूरा अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम हरजी राम पुत्र भूरा है तथा भाना पुत्र भूरा एवं हरजी राम पुत्र भूरा दो अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा के बजाय हरजी राम पुत्र भूरा अंकित किया जाना उचित प्रतित होता है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 3.8700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा के बजाय हरजी राम पुत्र भूरा दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner